P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May (Part-1)- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

विनिवेश : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रताप विजय कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर,
प्राचीन इतिहास विभाग,
पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग
ही0रा0स्ना0महाविद्यालय,
खलीलाबाद, संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

विनिवेश शब्द का प्रयोग आर्वाचीन अर्थव्यवस्था में विगत कुछ वर्षों में बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर बौद्धिक समाज एवं अर्थव्यवस्था के अध्येताओं के बीच सदैव विमर्श होता रहता है। लेकिन क्या विनिवेश शब्द एवं व्यवहार आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई प्रक्रिया है? इसका स्वरूप एवं विस्तार भले ही कुछ वर्षो में व्यापक हुआ हो और विनिवेश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने की अवधारणा व्यक्त की जा रही हो, परन्तु इस शब्द एवं प्रक्रिया की जड़े प्राचीन भारतीय समाज में देखने को मिलती है, भले ही उसका स्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य की भॉति न रहा हो। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में मौर्य युग से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और लगभग सम्पूर्ण भारत एक शासक के अधीन हो गया । इसमें व्यापार–वाणिज्य का भी विकास हुआ एवं विभिन्न प्रकार के उद्योग तथा शिल्प भी विकसित हुए। मौर्य एवं गुप्त काल में बड़े साम्राज्य होने से दुरस्थ प्रान्तो में राजा कतिपय आय के साधनों को प्रान्तीय अधिकारियों एवं व्यवसायियों को सौंप देता था जिन पर राजा या राज्य स्वयं प्रत्यक्ष अधिकार तथा उनका सम्यक संचालन नही कर सकता था। परन्तु अन्तिम अधिकार राज्य अपने पास ही सुरक्षित रखता था।

मुख्य शब्द : अनुदान–पत्र, अनुदान ग्रहीता, वेगार, विष्टि, विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना

विनिवेश भारतीय अर्थ व्यवस्था में राज्य द्वारा आय के संशाधनों को नीजी क्षेत्र में देकर उसमें सुधार या लाभ प्राप्त करने की एक अवधारणा है। विनिवेश शब्द का प्रयोग भले ही वर्तमान समय में वृहद स्तर पर हो रहा हो और इसके माध्यम से भारतीय अर्थ व्यवस्था में सुधार एवं उसके सृदृढ़ीकरण की बात की जा रही हो, लेकिन यह प्रक्रिया प्राचीन भारतीय समाज में भी दिखाई देती है, प्राचीन भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। प्राचीन भारतीय राज–व्यवस्था में जब सम्पूर्ण भारत पर मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य में एकराट् साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उत्तर से दक्षिण हिमालय से लेकर समुद्र तट तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिमी समुद्र तट एवं पश्चिमोन्तर में हिन्दूकुश पर्वत माला तक एक साम्राज्य स्थापित हुआ। इस बड़े परिच्छेत्र में सुचारू–शासन संचालित करना पर्याप्त चुनौती पूर्ण कार्य था गुप्त युग में भी कमोवेश साम्राज्य की स्थिति विस्तृत थी। इस परिस्थिति में शासकों द्वारा प्रान्तीय अधिकारियों तथा व्यवसायियों को स्थानीय रूप से खान, जंगल, चारागाह तथा अन्य आय के स्रोतों का विनिवेश किया गया। इसके अन्तर्गत राजा दूरस्त आय के स्रोतों पर जब प्रत्यक्ष अधिकार एवं उनका संचालन सुचारू–रूप से नहीं कर सकता था, तो उसे वह स्थानीय लोगों एवं व्यवसायियों को उसे संचालित करने का अधिकार हस्तान्तरित कर देता था, परन्तु ध्यातव्य है कि उस पर अन्तिम अधिकार या स्वामित्व स्वयं राजा या राज्य अपने पास ही सुरक्षित रखता था।

कतिपय ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त है, जिससे स्पष्ट हैं कि ऐसे साधनों को राजा हस्तान्तरित नहीं करता था, जिसमें अत्यधिक लाभ की संभावना रहती थी। जैसे बंगाल से प्राप्त पूर्व मध्य कालीन किंचित अनुदान पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि मछली मारने का अधिकार दान ग्रहीताओं को हस्तान्तरित नहीं किया गया था। यद्यपि तालाबों और अन्य जलाशयों पर उनके सामान्य अधिकार की बात स्वीकार की गयी है।[1] संभव है कि उस प्रदेश के निवासियों के मत्स्य प्रेमी होने के कारण यह अधिकार स्थानीय ग्रहीता को न दिया गया हो। जब कि गाहडवाल दान पत्रों में मछली मारने का राजकीय अधिकार स्पष्ट शब्दों में दान ग्रहीताओं को दिया गया है।[2]

सातवाहन राजाओं ने दान की भूमि को 'कर' से मुक्त एवं राज्य के सैनिकों तथा अधिकारियों के प्रवेश एवं हस्तक्षेप से रहित करके दान ग्रहीताओं को दिया था। साथ ही नमक खोदने का अधिकार भी, जिस पर सामान्यतः राज्य

का ही अधिकार होता था, दान प्राप्तकर्ता को दिया गया था। परन्तु शक शासको द्वारा दिये गये अनुदानों में इस प्रकार की विमुक्तियों का उल्लेख नही है।[3] प्रो0 आर0एस0 शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने अनुदान प्राप्तकर्ता को केवल नमक की खान खोदने का ही अधिकार हस्तान्तरित किया था। अन्य अधिकारों के हस्तान्तरण का उल्लेख न होने से संकेत मिलता है कि खानों, निधियों, वनो एवं चारागाहों पर राज्य अपना अधिकार सुरक्षित रखा होगा।[4]

वाकाटक प्रवर सेन द्वितीय के चम्मक (महाराष्ट्र) अनुदान पत्र में 100 चतुर्वेदी ब्राह्मणों को समस्त करों तथा बेगार से मुक्त ग्राम को देने का विवरण है। अनुदान शासन में वर्णित शर्तो के अनुसार इस ग्राम में राजा के सैनिक एवं अधिकारी या राज्य कर्मचारी नही जाते थे और अनुदानग्रहीता उस ग्राम के निधियों के उपभोगों का अधिकारी था। किन्तु गॉव के गाय, बैंल, फल, फूल, चारागाह खान, चर्म एवं कोयले पर राज्य ने अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता तभी इसका उपभोग करेगा जब वह राजद्रोह, ब्रह्महत्या, चोरी या व्यभिचार जैसे अपराध नहीं करेगा या गॉव के लोगों को कष्ट नहीं पहुँचायेगा। इसी प्रकार सशर्त प्रवर सेन द्वितीय के 18वें वर्ष के सिवानी दान पत्र तथा प्रभावती गुप्ता के पूना दान पत्र में अनुदान किये जाने का विवरण है।[5] अतः सशर्त भूमि अनुदान का यह प्राचीनतम् साक्ष्य है।[6]

यद्यपि अनुदान क्षेत्रों में जो राजा द्वारा दान ग्रहीता को प्रदान किया गया उसमें किसानों को यह नुकसान भी हुआ कि ग्रामवासियों के सामुदायिक अधिकार अनुदान भोगियों को दे दिये और बहुत से अनुदान में गॉवों की सीमाएं निर्धारित नहीं की गयी, जिसका लाभ उठाकर अनुदान प्राप्तकर्ता अपना नीजी क्षेत्र बढ़ा सकता था। फिर परती जमीन, जंगल, झाड़, चारागाहों, पेड़–पौधों, जलाशयों आदि पर भी उन्हें जो अधिकार दिये जाते थे, उसके कारण किसान बिना कर दिये उसका उपयोग नहीं कर सकते थे।[7] स्पष्ट है कि गॉवों के सामुदायिक साधन इस सिद्धान्त पर अनुदानित किये जाते थे कि सम्पूर्ण भूमि राजा की है और वही उसका वास्तविक स्वामी है, लेकिन एक बार जब जमीन अनुदान ग्रहीता के हाथ में चली जाती थी तब उस पर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व या अधिकार हो जाता था, और गॉव वालों के परंपरागत अधिकार उनसे छिन जाते थे। इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश ही नही है कि गॉव की सम्पूर्ण भूमि पर गॉव वालों के ऐसे परम्परागत अधिकार प्राप्त थे। गुप्त काल में इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। पूर्व मध्यकालीन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि बंगाल में ग्रामीण समाज की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित या किसी को राजा दे नहीं सकता था। आगे चलकर पाल वंश के शासकों ने गॉव किसी को अनुदान देने के पूर्व ग्रामवासियों से विधिवत सहमति लिया करते थे। इस प्रकार गॉव के जिन साधनों का उपयोग या उपभोग गॉव के लोग करते थे, उनके ग्रहीताओं के नाम हस्तांतरित करने से किसानों की बहुत सी सुविधाओं और अधिकारों का अन्त हो गया।[8]

अतः पूर्व मध्यकाल के अनुदान लेखों से स्पष्ट है कि वृहद व्यवसायिक या आर्थिक लाभ क्षेत्रों को विनिवेशित या अनुदानित किया गया, लेकिन अन्तिम अधिकार राज्य अपने पास सुरक्षित रखता था। परन्तु ज्यों–ज्यों राजा अपने अधिकारों का समर्पण क्षेत्र या भूमिदान ग्रहीता के पक्ष में करता गया, राज्य में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गयी, और इस विकेन्द्रीकरण ने राज्य को आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से खोखला कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में विनिवेश करते समय राज्य या सरकार को अपने अधिकारों को पूर्ण समर्पण व्यक्तिगत क्षेत्रों को न कर किंचित अन्तिम अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। साथ प्रत्यक्ष लाभ के क्षेत्र एवं शिक्षा को अपने अधिकार में राज्य को रखना चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय अर्थ व्यवस्था में राज्य द्वारा आय के साधनों, उद्योग, आदि में नीजी क्षेत्रों की भागीदारी या उन्हें उसे संचालित करने की चर्चा यत्र–तत्र देखने सुनने को मिलती है। जिसके सन्दर्भ में उसके नवीन अवधारण के विविध पक्षों पर विचार विमंथन, से अलग–अलग निष्कर्ष सामने आते रहें हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कि यह प्रक्रिया आर्वाचीन है या इसकी अवधारणा प्राचीन भारत में पहले से रही है और प्राचीन काल में विनिवेश की अवधारणा का स्वरूप क्या था। इन्ही बिन्दुओं पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत विषय का चयन किया गया हैं।

निष्कर्ष

विनिवेश वर्तमान परिवेश में प्रयोग होने वाला एक ऐसी शब्दावली है, जो अर्थ –व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य द्वारा व्यसायी, उद्योगपति को प्रदान करता है। लेकिन इससे राज्य का एकाधिकार प्रभावित न हो। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विमर्श करने पर यह दिखायी देता है कि प्राचीन भारतीय समाज में भी राज्य उत्पादन एवं लाभ के सभी स्रोतों पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव रखता था। क्यों कि इसके बगैर विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और राज्य का एकाधिकार भी प्रभावित होगा। इस प्रकार विनिवेश की प्रक्रिया राज्य का एकाधिकार प्रभावित हुए बगैर होना चाहिए।

अंत टिप्पणी

1. *प्रो0आर0एस0शर्मा – भारतीय सामतवाद – पृष्ठ 14, 23, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1990*
2. *वही – पृष्ठ–111*
3. *प्रो 0एस0एम0मिश्र – प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन प्रमाणिक पब्लिकेशन, इलाहाबाद–1997*
4. *वही – पृष्ठ– 60–61*
5. *सेलेक्ट इंस्क्रिप्शन्स – पृष्ठ– 411–15*
6. *प्रो0एम0एस0मिश्र – प्राचीन भारत आर्थिक जीवन पृष्ठ –231, प्रमाणिक पब्लिकेशन, इलाहाबाद–1997*
7. *वही – पृष्ठ– 231*
8. *वही – पृष्ठ– 231–32*